कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 4931 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, जून 18 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– 547/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 31.05.2021
2–आपका पत्र संख्या– 2805/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 दिनांक– 02.06.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें । उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक–31.05.2021 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या – 3948/रेनुकूट/15–19 दिनांक 14.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– 547/81–2–2021–79/1991 लखनऊ दिनांक– 31.05.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, भारत सरकार के पत्र संख्या–8–350/87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 द्वारा 6(छः) शर्तो के अधीन एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– एल0 598/14–3–1989 दिनांक– 22.12.1989 व संशोधित आदेश संख्या–5343/14–2–93–944/1987 वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 01.11.1993 द्वारा 11(गयारह) शर्तों के अधीन 185.84 हे0 वन भूमि एन0सी0एल0 को 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी । भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्तानुसार लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि से **बिल्कुल अलग 18.2608 एकड़ वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लंधन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेंसियो को लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की जानकारी पभाग के संज्ञान में आने पर** प्रभाग के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा प्रक्रण वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33 दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल

		अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंधन दिनांक– 30.01.2014 व पत्र संख्या– 419/11–सी दिनांक– 20.08.2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा **प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है** । उक्त पत्रो की **छाया प्रति संलग्न है** ।
2	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गयी उल्लंधन के संबंध में दोषी कार्मिको के विरूद्ध की गयी कार्यवाही ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त बिन्दु संख्या–1 में अंकित पत्रो में वर्णित तथ्यो पर उ0प्र0 शासन स्तर से निर्णय लिये जाने के उपरान्त उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के उल्लंधन के संबंध में दोषी कार्मिको के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
3	प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध अबतक की गयी दण्डात्मक कार्यवाही ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन का प्रकरण उपरोक्तानुसार उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन होने के कारण प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध अब तक दण्डात्मक कार्यवाही नही की गयी है । प्रकरण में उ0प्र0 शासन स्तर से निर्णय लिये जाने के उपरान्त निर्णयानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की तीन प्रति ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 4931 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर